

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री के लिए हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एजेंसियों के आवंटन के लिए नियम एवं शर्तें ।

हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग की इकाईयों एक विशाल श्रेणी के उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं जिनका विपणन हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरखादी ब्रांड के तहत किया जाएगा। तुरन्त संदर्भ के लिए उत्पादों की विस्तृत सूची संलग्न है। इनमें से कुछ उत्पाद जैसे शहद, अचार (अचार), मुरबा, सभी प्रकार के मसाले (मसाला), एलोवेरा जूस को आयोग्यदायी स्थिति के तहत प्रक्रिया की जा रही है और नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मानकों को पूरा करता है। सभी खादी उत्पादों का प्रतिस्पर्धी मूल्य है। हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का इरादा हरियाणा के सभी शहरों/कस्बों में नई एजेंसियों (यहां एचकेवीआईबी एजेंसियों के रूप में कहा जाता है) को खोलकर जनता को इन उत्पादों को सीधे रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराने का है। खादी उत्पादों के संचालन के लिए एजेंसियों को उन व्यक्तियों को आवंटित किया जाएगा जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। एजेंसी के आवंटन के लिए विस्तार प्रक्रिया और नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. हरियाणा के सभी शहरों में HKVIB एजेंसियों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि कोई हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (इसलिए इसे HKVIB कहा जाता है) के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो आवंटन एक महीने का नोटिस देते हुए समाप्त कर दिया जाएगा और बोर्ड के पास पड़ी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. हरियाणा का कोई भी निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और 60 वर्ष से अधिक आयु ना हो व अपनी दुकान हो या वह इसे किराए पर ले सकता है, इस एजेंसी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी प्रतिलिपि निवासी प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करेगा : -
 1. वर्तमान पते के साथ चुनाव आईडी कार्ड
 2. आधार कार्ड
 3. फोन बिल वर्तमान पते के साथ
 4. गैस कनेक्शन
 5. बैंक पास बुक
 6. यदि दुकान किराए पर ली गई है तो किराए का अनुबंध

3. निर्धारित प्रोफोर्मा एजेंसी के आवंटन के लिए आवेदन हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला के मुख्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक को उस शहर का चयन करना होगा, जहां वह दुकान खोलना चाहता है और पंचकुला के मुख्यालय पर आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा।
4. आवेदन फॉर्म विधिवत रूप से और स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए और इसके साथ ब्याना धनराशि रुपये 1.00 लाख (एक लाख केवल) हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्यालय, पंचकुला में पहुँचना चाहिए। राशि के बिना प्राप्त आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
5. आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और एचकेवीआईवी के मुख्यालय से एक टीम/समिति द्वारा दुकान की साइट को उचित रूप से जांचने के बाद पात्र आवेदकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें सचिव, HKVIB की अध्यक्षता में तीन सदस्य होंगे।
6. यदि किसी आवेदक को आवेदन जमा करने में कोई कठिनाई/समस्या आती है, तो वह टेलीफोन नंबर 0172-2560409 पर संपर्क कर सकता है। सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में/या ई-मेल के माध्यम से अपनी कठिनाई/क्वेरी जमा कर सकता है।
7. प्रति व्यक्ति केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा, हालाँकि यदि उसके परिवार में चार सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य एक साइट के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है।
8. आवेदकों द्वारा बोर्ड में जमा बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। Earned money रुपये 1.00 लाख को सफल आवेदकों की सुरक्षा में बदल दिया जाएगा और असफल उम्मीदवारों की Earned money वापिस कर दी जाएगी।
9. दुकान का आंतरिक डिजाइन, दुकान पर लगाए जाने वाले हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग (हर खादी) के लोगों के साथ साईन बोर्ड का डिजाइन हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा। एजेंसी HKVIB की सहमति के बिना इस दुकान की दीवारों पर कुछ भी लिख/पेंट नहीं कर सकते हैं।
10. एजेंसी के मालिक को आवंटन पर स्वयं जीएसटी नंबर के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
11. दुकान खोलने के लिए चयनित एजेंसी को हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी: -

क्र. सं.	शहर का नाम/वर्ग	जमा करने के लिए न्यूनतम राशि
1	पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम	रुपये 6.00 लाख
2	हरियाणा के अन्य सभी शहर	रुपये 4.00 लाख
3	छोटा शहर/गाँव	रुपये 2.00 लाख

उपर्युक्त राशि का 20% हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धरोहर राशि के रूप में रखा जाएगा क्योंकि सुरक्षा और एजेंसी धारक हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से डीलर रेट पर शेष राशि की सामग्री खरीद करेंगे।

12. हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खोली जाने वाली एजेंसियों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

क्र. सं.	शहर का नाम/वर्ग	खोली जाने वाली एजेंसियों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम	04	सचिव, एचकेवीआईबी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के बाद ही अतिरिक्त साइट को अंतिम रूप दिया जाएगा
2	हरियाणा के अन्य सभी शहर	02	
3	छोटा शहर/गाँव	01	

यह भी स्पष्ट किया गया है कि दो दुकानों/एजेंसियों के बीच की दूरी कम से कम 5 कि० मी० से अधिक होनी चाहिए।

13. HKVIB एजेंसी धारक अपनी दुकान में एयर कंडीशनर और म्यूजिक सिस्टम स्थापित करेगा। दुकान का बाहरी दरवाजा कांच का होना चाहिए और घरखा दुकान के सामने प्रदर्शित होना चाहिए।
14. एजेंसी के पास एक कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति होना अनिवार्य है क्योंकि सभी बिलिंग बारकोड/स्कैनर के माध्यम से की जाएगी जो हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विकसित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा और एजेंसी को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
15. एजेंसी के बिजली बिल, पानी के बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि के संचालन का सारा खर्च एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। एजेंसी अच्छी साफ सुधरी स्थिति में दुकान को बनाए रखेगी और प्लास्टिक व पॉलिथीन बैग का उपयोग बिल्कुल नहीं करेगी।
16. हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की डिलीवरी हेड क्वार्टर, पंचकुला से गंतव्य के लिए की जाएगी।
17. एजेंसी द्वारा स्थानीय करों और चुंगी आदि को स्वयं वहन किया जाएगा।
18. हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी दुकान पर उत्पादों का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी।

19. यदि किसी उत्पाद में गुणवत्ता/पैकेजिंग समस्याएँ हों तो हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निःशुल्क रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी को अपनी शिकायत सामग्री सामान प्राप्त होने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर बोर्ड दर्ज करानी होगी।
20. दुकान में रखे गए स्टॉक का बीना हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा।
21. हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी व्यवसाय/दुकान चलाने के लिए किसी भी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करेगा। वह गैरकानूनी उत्पाद/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
22. हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी को HKVIB द्वारा दिये गये डिजाईन अनुसार साईन बोर्ड लगाना होगा।
23. हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग के अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी समय दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
24. यदि संबंधित प्राधिकरण द्वारा किसी कारण से एजेंसी की साइट का आवंटन रद्द कर दिया जाता है तो हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से किसी भी प्रकार की क्षति/हानि का दावा नहीं करेगी और आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी किसी कारण से एजेंसी धारक द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, तो 20% की सुरक्षा राशि में से केवल 10% वापस कर दिया जाएगा और वह भी बिना सुरक्षा राशि के किसी ब्याज के।

मध्यस्थता:

किसी भी विवाद या अंतर के मामले में, जो हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग एजेंसी के बीच उत्पन्न हो सकता है, समझौते, या किसी अन्य भाग के विचार, व्याख्या और प्रभाव के संबंध में, मामला मुख्य कार्यकारी को भेजा जाएगा। कार्यपालिका, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या विवाद के स्थगन के लिए उनके नानिती, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। समझौते के तहत या अन्यथा सभी कार्यवाही केवल पंचकूला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होगी।

मैं बोर्ड द्वारा निर्धारित उक्त सभी नियमों व शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

(आवेदनकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)